न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 353/2025 (GCMS : 2025/476)

1. **जनेश चौधरी** पुत्र राकेश कुमार खैरवा निवासी 7–डी–42 जवाहरनगर, श्रीगंगानगर
2. **राकेश कुमार** पुत्र रामजीलाल निवासी सैक्टर नम्बर 7–डी–42 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. **स्टेट ऑफ राजस्थान** जरिये लोक अभियोजक
2. **अमीषा चौधरी** पत्नी जनेश चौधरी पुत्री यशवंतराज निवासी नजदीक सरकारी सीनियर सैक्ण्डरी स्कूल, बींझबायला, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

13.04.2026

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री बलवन्त बिश्नोई, सुनील कुमार को रूक रूक कर, बार–बार आवाज् लगाई, परन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता ओम प्रकाश बतरा उपस्थित हुए। उन्हें सुना गया।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में विचाराधीन विभिन्न प्रकरणों यथा 251–ए आरटीएक्ट, 151 सीपीसी एवं धारा 212, 188 आरटीएक्ट हेतु एक ही मुंतकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जबकि प्रत्येक प्रकरण हेतु अलग–अलग मुंतकिली प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए था, इसलिए प्रार्थी का मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा धारा 408 बीएनएसएस के तहह मुंतकिली प्रार्थना पत्र पेश किया है, जबकि धारा 408 बीएनएसएस के तहत न्यायिक न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार है, इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर में लम्बित विचाराधीन प्रकरण संख्या 229/2025 अनवान् अमीषा चौधरी बनाम राकेश कुमार वगै. अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीएक्ट, प्रार्थना पत्र संख्या 230/2025 अनवान् अमीषा चौधरी बनाम राकेश कुमार वगै. अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी एवं प्रकरण संख्या 09/2025 अनवान् अमीषा चौधरी बनाम जनेश वगैरहा अन्तर्गत धारा 212, 188 आरटीएक्ट में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:11:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। परन्तु प्रार्थी के अधिवक्ता बहस के समय आज उपस्थित नहीं हुए इसलिए प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी खारिज में खारिज किया जाता है साथ ही प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 448 बीएनएसएस के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है, जिस पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता के न्यायालय को नहीं है, इसलिए भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर, को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:11:20 IST
Reason: SelfAttested